



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 12.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जब्त 30 अदद (देशी/कच्ची शराब) को विनिष्टीकरण कराया गया।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व उपजिलाधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में देवेन्द्र मणि त्रिपाठी तहसीलदार इटवा, नारायण लाल श्रीवास्तव थानाध्यक्ष मिश्रौलिया की मौजूदगी में आज दिनांक 12.07.2025 को कुल 30 अदद (देशी/कच्ची शराब) मालों का विधिवत विनिष्टीकरण कर निस्तारण किया गया। यह कार्यवाही अवैध शराब के व्यापार और उपयोग को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और समाज में नशे के दुष्प्रभाव को कम करना है।

थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जब्त 30 अदद (देशी/कच्ची शराब) को विनिष्टीकरण कराया गया।

◆यातायात पुलिस द्वारा दो पहिया पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाना, गलत दिशा मे वाहन चलाना, सड़को के किनारे अवैध अतिक्रमण हटवाने आदि के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन के क्रम मे, प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अरुणकांत सिंह क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल पर्यवेक्षण मे अमरेश कुमार प्रभारी यातायात मय टीम द्वारा आज दिनांक 12.07.2025 को पकड़ी तिराहा, सनई चौराहा, साड़ी तिराहा, पावर हॉउस तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा एवं कस्बा बाँसी, बर्डपुर आदि स्थानों पर पी० ए० सिस्टम से आम जनमानस को जागरूक करने के साथ-साथ सड़को के किनारे अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों को जिनसे दुर्घटना की प्रबल संभावना/जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उनका M. V. Act के तहत चालान कर हटवाया गया एवं दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा चार वाहनों मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना, गलत दिशा मे वाहन चलाने वालो का चालान करने समेत कुल 73 वाहनों का चालान करते हुए ₹89,500/- रुपये शमन शुल्क की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओ की संख्या मे भारी कमी लायी जा सके।

थाना इटवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिपरी महरी में एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी इटवा की वीडियो बाइट ।